

# भारतीय रेल

## सार्वजनिक अधिसूचना

रेलवे लाईनों और परिसरों के सभी उपयोक्ताओं को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उत्तर रेलवे के निम्नलिखित खण्ड पर 25,000 वोल्ट 50 हर्ट्ज ए.सी. सिरोपरि उपस्कर कर्षण तारों को खण्ड के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को या बाद उर्जित किया जायेगा। इस तारीख व इस तारीख के बाद से सिरोपरि उपस्कर कर्षण लाईनों को सब समय विद्युन्मय माना जाएगा और कोई भी अनधिकृत व्यक्ति उस सिरोपरि उपस्कर लाईन की सामीप्यता में दाखिल होने या काम करने नहीं जाएगा।

खण्ड	तारीख
"25000 वोल्ट सिग्नल फेस ए.सी. पर रोहतक पानीपत खंड में अप/डाउन मेन लाईन रोहतक स्टेशन के निकट लोकेशन नम्बर: 0/1 (Ch: 0/829.50) से लोकेशन नम्बर: 6/8 (Ch: 6/351.50) का नव विद्युतीकरण"	30.12.2020

सं. 14-विद्युत/नि./वर्क/दिल्ली/1251 दिनांक: 08.12.2020

### भारतीय रेल

### एसी 25 केवी कर्षण को चालू करना

### "सड़क उपयोक्ताओं को चेतावनी"

जन साधारण की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि "25,000 वोल्ट सिग्नल फेस ए.सी. पर रोहतक - पानीपत खंड में अप/डाउन मेन लाईन रोहतक स्टेशन के निकट लोकेशन नम्बर: 01 (Ch: 0/829.50) से लोकेशन नम्बर: 6/8 (Ch: 6/351.50) का नव विद्युतीकरण" के सभी समपारों पर सड़क सतह से अधिकतम 4.78 मी. की ऊँचाई पर गेज लगाई गई है और संपर्क तार की ऊँचाई 5.50 मी. लगाई गई है ताकि बहुत अधिक ऊँचाई वाले लोड को विद्युन्मय कर्षण तार की खतरनाक सन्निकटता या सम्पर्क में आने से रोका जा सके।

जन साधारण को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वाहनों के लदान के प्रयोजन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट ऊँचाई का पालन करे और वह देखें कि सड़क वाहन में ढोये जा रहे लोड से किसी भी स्थिति में ऊँचाई गेजों का अतिलन्धन न करे।

1. ऊँचाई गेजों के लिए खतरा और उसके फलस्वरूप सड़क और रेलवे लाईनों में बाधा।
2. वाहन पर ले जाये जा रही सामग्रियों या उपस्कर को खतरा।
3. चालकों की खतरनाक सामीप्यता या सम्पर्क के कारण आग का खतरा और जीवन की हानि का खतरा।

उप मुख्य विद्युत अभियन्ता/निर्माण

उत्तर रेलवे, चौथा तल, डी.आर.एम. कार्यालय, नई दिल्ली

सं. 14-विद्युत/नि./वर्क/दिल्ली/1251 दिनांक: 08.12.2020

2758/2020

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ